न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर(एस.डी.ओ.) सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़,आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र संख्या 116/2017

प्रार्थीगण

1– जेठाराम पु. गलबाजी
2– नेमाराम पुत्र गलाबाजी
3– मानाराम पुत्र गलाबाजी
4– पुनाराम पुत्र देशाराम जी
5– अशोक पुत्र देशारामजी
6– मगी पुत्री देशारामजी
7– दरगी पत्नि देशारामजी
8– मोगी पुत्री गलबाजी
9– पोनी पुत्री गलबाजी
10– मन्सी पुत्री गलबाजी
11– रमेश पुत्र जैसाजी
12– मगनी पुत्री जैसाजी
13– हुली पुत्री जैसाजी
14– गंगा पुत्री जैसाजी
15– पेपी पत्नि जैसाजी
16– टीपू पुत्री धना जी
सभी जाति कुम्हार आयु व्यस्क
निवासी मोरली तहसील शिवगंज
जिला सिरोही राज.

बनाम अप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार,सिरोही

उपस्थित :–

1– प्रार्थी की ओर से विद्वान वकील श्री परीक्षित खरोर
2– अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार
(नायब तहसीलदार,सिरोही)

रा.प्रा.पत्र अ.धा.धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करने

निर्णय दिनांक 02–01–2018

प्रार्थीगण ने जरिये वकील यह राजस्व प्रार्थनापत्र अन्र्तगत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वास्ते राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करने बाबत विरूद्व राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,सिरोही का इस न्यायालय मे दिनांक 5–7–2017 को पेश किया जिसका संक्षेप्त मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि ग्राम वाडाखेडा पटवार क्षैत्र गोल तहसील सिरोही मे प्रार्थीगण के कब्जे खातेदारी की कृषि भूमि आई हुई है प्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी के कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2049 से 2052 मे निम्न प्रकार अंकित थी :–

Continue Page No 2

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

खाता नंबर	खसरा नंबर	रकबा
153	165/19	1–18
	167/37	2–08
	कुल 02	4–06

वर्तमान सैटलमेण्ट मे प्रार्थी के पुराने खसरा नंबर 165/19से बने नये खसरा नंबर 330 रकबा 6.15 हेक्टेयर मेसे 0.31 हेक्टेयर को राजस्व रेकर्ड मे बिलानाम अंकित किया है। प्रार्थीगण व उसके रसाधिकारी के खातेदारी मे अंकित नही किया है। पुराने खसरा नंबर 165 से नये खसरा नंबर 329,330,331,332 नये है एवं पुराने खसरा नंबर 165/19 नये खसरा नंबर 330 रकबा 6.15 हेक्टेयर मेसे 0.31 हेक्टेयर राजस्व रेकर्ड मे खातेदारी के स्थान पर बिलानाम अंकित किया है।एवं प्रार्थी पुरानेखसरा नंबर 165/34 ,165/85,165/86,रकबा 0.09 बीघा,0.17 बीघा,0.11 बीघा से बने नये खसरा नंबर 330 रकबा 6.15 हेक्टेयर मेसे 0.30 हेक्टेयर पर काबिज काश्त है। जिसका नक्शा तकनीकी दक्ष से बनाया जाकर मौके की स्थिति को दर्शाता हुआ इस आवेदन के संलग्न प्रस्तुत है इस भूमि को वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे बिलानाम अंकित किया है।

प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि को राजस्व नक्शे एवं रेकर्ड मे खसरा नंबर 330 रकबा 6.15 हेक्टेयर मेसे 0.31 हेक्टेयर को बिलानाम दर्शाया है जो सर्वथा गलत रूप से दर्शाया है। प्रार्थी के वर्तमान सेटलमेण्ट के पुराने खसरा नंबर 165/19 रकबा 1–18 बीघा के नये खसरा नंबर 330 रकबा 0.31 हेक्टेयर को राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे मे बिलानाम के स्थान पर खातेदारी अंकित किया जाना न्यायसंगत है। यदि वर्तमान भू प्रबन्ध के समय हुई गलती को नही सुधारा गया तो प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से वंचित हो जायेंगे। वर्तमान भूप्रबंध के समय हुई उक्त गलती की जानकारी प्रार्थी को ऑन लाईन जमाबंदी लेने पर अभी ही हुई है जिससे यह आवेदन शीघ्र बिना देरी के प्रस्तुत है अन्यथा भी भूप्रबन्ध मे हुई गलती को दुरूस्त कराने हेतु विधि मे कोई अवधि नियत नही है। प्रार्थी ग्रामीण काश्तकार है उसे वर्तमान भूप्रबन्ध के समय उसकी कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे मे हुई त्रुटि की जानकारी नही थी प्रार्थी संलग्न नक्शे मे लाल रंग से दर्शित भूमि पर काबिज काश्त है। सिरोही तहसील मे भूप्रबन्ध की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है जिससे भूप्रबन्ध के समय हुई गलतती को दुरूस्त किये जाने का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड व नक्शे मेखसरा नंबर 330 रकबा 6.15 हेक्टेयर मेसे 0.31 हेक्टेयर बिलानाम से संशोधित कर प्रार्थी के खातेदारी मे अंकित किये जाने के आदेश प्रदान कराना फरमाचे ।

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राजस्थान)

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित राजस्व रेकर्ड प्रतियॉ यथा मिलान क्षैत्रफल की प्रति,नक्श किश्तवार मौजा वाडाखेडा पटवार हल्का गोल तहसील सिरोही की ग्राम वाडाखेडा पटवार हल्का गोल तहसील सिरोही के पुराने खसरा नंबर 165/19 रकबा

Continue Page-3

1–18 बीघा के नये खसरा नंबर 330 रकबा 6.15 हेक्टेयर मेसे 0.31 हेक्टेयर को राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे मे बिलानाम के स्थान पर खातेदारी अंकित किया जाना न्यायसंगत है। वर्तमान भूप्रबन्ध के रेकार्ड मे प्रार्थी के कब्जे खातेदारी की कृषि भूमि के खसरा नंबर 330 का अंकन बिलानाम हुआ है जो सर्वथा गलत रू‍प से हुआ है।यदि वर्तमान मे भूप्रबन्ध के समय हुई गलती को नही सुधाारा गया तो प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से वंचित हो जायेगा ।अतः प्रार्थी का यह आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड व नक्शे मे खसरा नंबर 330 रकबा 6.15 हेक्टेयर मेसे 0.31 हेक्टेयर बिलानाम से संशोधित कर प्रार्थी के खातेदारी मे अंकित किये जाने की आज्ञा व अन्य कोई राहत जो हितकर प्रार्थी के न्यायोचित हो उसे प्रदान किये जाने का आदेश फरमावें

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न मिलान क्षैत्रफल व नक्शा प्रति व मौजा वाडाखेडा पटवार हल्का गोल तहसील सिरोही की जमाबंदी संवत 2049 से 2052 खाता नंबर 153 खसरा नंबर 165/19 रकबा 1.18 किस्म जोड I,खसरा नंबर 165/37 रकबा 2.18 किस्म जोड I जमाबंदी संवत 2064 से 2067 खाता नंबर 158 खसरा नंबर 369 रकबा 0.3900 हेक्टेयर किस्म जोड I, जमाबंदी संवत 2068 से 2071 खाता नंबर 153 खसरा नंबर 369 रकबा 0.3900 किस्म जोड I जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता नंबर 01 राजस्थान सरकार खसरा नंबर 329 रकबा 1.1500 किस्म जोड I,खसरा नंबर 330 किस्म 6.1500 किस्म जोड I खसरा नंबर 331 रकबा 13.0700 किस्म जोड I खसरा नंबर 332 रकबा 4.4000 किस्म जोड I तथा जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता नंबर 161 खसरा नंबर 369 रकबा 0.3900 हेक्टेयर किस्म जोड I, प्रति का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो उक्त प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 5–7–2017 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस दिनांक 7–7–2017 को जारी किया गया ।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 15–9–2017 को अप्रार्थी तहसीलदार,सिरोही को जारी उक्त नोटिस तामिल होकर प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया ।

दिनांक 5–12–2017 को न्यायालय मे विचारण प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी तहसीलदार,सिरोही ने जरिये पत्र क्रमांक 1094 दिनांक 30–11–2017 से प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया ।तथा उक्त जवाब की प्रति वकील प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाई गई ।

अप्रार्थी तहसीलदार,सिरोही ने अपने उक्त जवाब के माध्यम से यह कथन किया कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 01 का कथन प्रार्थीगण स्वंय सिद्व करना तथा प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 मे कथन किया कि राजस्व रेकर्ड अनुसार पटवार मण्डल गोल के मौजा वाडाखेडा के खसरा नंबर 329 ,330,331 व 332 कुल किता चार कुल रकबा 24.77 हेक्टेयर बिलानाम सरकार दर्ज है जिसकी जमाबंदी साथ संलग्न है। तथा प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 से 7 तक प्रार्थीगण स्वंय सिद्व करना व पैरा 8 से 10 तक माननीय न्यायालय से संबंधित होना बताया है।

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

Continue Page No 4

विचारण प्रकरण मे इस न्यायालय मे दिनांक 15–12–2017 को वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार/सिरोही) की इस प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 पर अंतिम बहस रखी गई जिस पर वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार ने न्यायालय मे हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि को राजस्व नक्शे एवं रेकर्ड मे खसरा नंबर 330 रकबा 6.15 हेक्टेयर मेसे 0.31 हेक्टेयर को बिलानाम दर्शाया है जो सर्वथा गलत रूप से दर्शाया है। प्रार्थी के वर्तमान सेटलमेण्ट के पुराने खसरा नंबर 165/19 रकबा 1–18 बीघा के नये खसरा नंबर 330 रकबा 0.31 हेक्टेयर को राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे मे बिलानाम के स्थान पर खातेदारी अंकित किया जाना न्यायसंगत है। यदि वर्तमान भू प्रबन्ध के समय हुई गलती को नही सुधारा गया तो प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से वंचित हो जायेंगे। वर्तमान भूप्रबंध के समय हुई उक्त गलती की जानकारी प्रार्थी को ऑन लाईन जमाबंदी लेने पर अभी ही हुई है जिससे यह आवेदन शीघ्र बिना देरी के प्रस्तुत है अन्यथा भी भूप्रबन्ध मे हुई गलती को दुरूस्त कराने हेतु विधि मे कोई अवधि नियत नही है। प्रार्थी ग्रामीण काश्तकार है उसे वर्तमान भूप्रबन्ध के समय उसकी कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे मे हुई त्रुटि की जानकारी नही थी प्रार्थी संलग्न नक्शे मे लाल रंग से दर्शित भूमि पर काबिज काश्त है।खसरा नंबर 165 से टुकडे हुये है सेटलमेण्टके बाद 330 331/332 नये नंबर पडे है जमाबंदी मेरे नाम से हुई है पुरानी मिसल भी पेश की है। सिरोही तहसील मे भूप्रबन्ध की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है जिससे भूप्रबन्ध के समय हुई गलतती को दुरूस्त किये जाने का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड व नक्शे मेखसरा नंबर 330 रकबा 6.15 हेक्टेयर मेसे 0.31 हेक्टेयर बिलानाम से संशोधित कर प्रार्थी के खातेदारी मे अंकित किये जाने के आदेश प्रदान कराना फरमाचे ।

अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगणा ने दौराने सेटलमेण्ट की सूचना का उजर एतराज नही किया है तथा प्रार्थी को उक्त भूमि आवंटन का साक्ष्य जमाबंदी के अलावा अन्य साक्ष्य पेश नही किया है तथा धारा 19 मे जो खातेदारी दी थी उसका साक्ष्य आवटन आदेश व तरमीम नक्शा सेटलमेण्ट का प्रस्तुत नही किया है। नक्शे मे कब्जे का सही तरमीम नही दिखाया है। प्रार्थीगण ने खातेदारी किस तरह प्राप्त है उसका विवरण नही दिया है। प्रार्थी चाहे तो बिलानाम भूमि मे खातेदारी हेतु अर्न्तगत धारा 88 आर.टी.एक्ट के तहत दावा कर सकते है। तथा उक्त प्रकरण लिपिकिय त्रुटी की परिभाषा मे नही आने से धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत परिपोषणीय भी नही है।

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

Continue Page No 5

हमने वकील प्रार्थी व अप्रार्थी पैरोकार सरकार की उपरोक्त अंतिम बहस पर गहनतापूर्वक मनन किया । विचारण प्रकरण की पत्रावली के संलग्न प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र/जवाब अप्रार्थी राजस्व रेकर्ड प्रतियॉ यथा भूप्रबन्ध विभाग की खतौनी 14–6–2004 से 13–6–2024 की प्रति मिलान क्षैत्रफल की प्रति/नक्शा किश्तवार मौजा वाडाखेडा पटवार हल्का गोल तहसील सिरोही

प्रार्थनापत्र व संलग्न मिलान क्षैत्रफल व नक्शा प्रति व मौजा वाडाखेडा पटवार हल्का गोल तहसील सिरोही की जमाबंदी संवत 2049 से 2052 खाता नंबर 153 खसरा नंबर 165/19 रकबा 1.18 किस्म जोड ।/खसरा नंबर 165/37 रकबा 2.18 किस्म जोड । जमाबंदी संवत 2064 से 2067 खाता नंबर 158 खसरा नंबर 369 रकबा 0.3900 हेक्टेयर किस्म जोड ।/ जमाबंदी संवत 2068 से 2071 खाता नंबर 153 खसरा नंबर 369 रकबा 0.3900 किस्म जोड । जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता नंबर 01 राजस्थान सरकार खसरा नंबर 329 रकबा 1.1500 किस्म जोड ।/खसरा नंबर 330 किस्म 6. 1500 किस्म जोड । खसरा नंबर 331 रकबा 13.0700 किस्म जोड । खसरा नंबर 332 रकबा 4.4000 किस्म जोड । तथा जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता नंबर 161 खसरा नंबर 369 रकबा 0.3900 हेक्टेयर किस्म जोड । । की प्रति का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन व विश्लेषण के उपरान्त यह पाया कि पत्रावली के संलग्न प्रार्थीगण को भूमि आवंटन हुई उसके आवंटन आदेश व नक्शा तरमीम की प्रति प्रार्थीगण ने पेश नही की है तथा धारा 19 के तहत जो खातेदारी प्रार्थीगण को दी थी उसका दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नही किया है।तथा प्रार्थीगण ने दौराने सेटलमेण्ट पर्चा के उजर एतराज भी पेश नही किया है ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश करना नही पाया है। जिससे यह साबित होता हो कि वर्तमान सेटलमेण्टमे प्रार्थी के पुराने खसरा नंबर 165/19 के नये खसरा नंबर 330 रकबा 6.15 हेक्टेयर मेसे 0.31 हेक्टेयर को राजस्व रेकर्ड मे बिलानाम अंकित किया । प्रार्थीगण व उसके रसाधिकारी के खातेदारी अंकित नही किया है। पुराने खसरा नंबर 165/34 ,165/85 ,165/86 से नये खसरा नंबर 329,330,331,332 बने हैएवं प्रार्थी पुराने खसरा नंबर 165/ से बने नये खसरा नंबर 330 रकबा 6.15हेक्टेयर मेसे 0. 31 हेक्टेयर पर काबिज काश्त है कि राजस्व रेकर्ड नक्शे मे बिलानाम के स्थान पर खातेदारी अंकित किया जाना का निवेदन किया है। हम तहसीलदार/सिरोही के उक्त जवाब से सहमत है कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड व नक्शे मे विचारण प्रकरण मे प्रार्थीगण कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड व नक्शे मे प्रार्थीगण के खातेदारी मे अंकित किये जाने की राहत चाही है जो कि वर्तमान जमाबंदी मे दर्ज खातेदार राजस्थान सरकार के बिलानाम भूमि के विरूद्व चाही है जो कि उक्त प्रकरण जमाबंदी मे दर्ज खातेदार के विरूद्व खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की तारीफ मे आता है न कि लिपिकिय त्रुटि की तारीफ मे आता है। विधि मे भी यह प्रावधान है कि सर्वे एण्ड लैण्ड रेकर्ड ओपरेशन के दौरान हुई त्रुटि को दुरूस्ती बाबत कोई भी व्यक्ति

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

Continue Page-6

खातेदार कृषक के अधिकार विरूद्व रेकर्डेड खातेदार के रेकर्ड चेन्ज प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्राप्त करने हेतु नही आ सकता । बल्कि खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय मे राजस्व वाद अ. धा. 88 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत करना होता है न कि अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत संक्षेप वैकल्पिक रास्ता से इस धाारा का गलत सहारा लेकर प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थीगण ने क्लीन हैण्ड से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नही किया है तथा प्रार्थीगण ने अपने पक्ष मे प्रथम दृष्टयॉ प्रकरण प्रमाणित करने हेतु भूमि आवंटन आदेश की प्रति पेश नही की है जिससे यह स्थिति स्पष्ट नही होती कि प्रार्थी को आवंटन किस खसरा नंबर मे कितने रकबे पर किया है तथा प्रार्थी कहॉ पर काबिज काश्त है। इस प्रकार प्रार्थीगण ने राजस्व अभिलिखित साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किया है। इस कारण प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र विधि मान्य नही होने से उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत बाबत राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करवाने का परिपोषणीय नही होने से स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार (खारीज) किया जाता है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

02/1/18

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

यह निर्णय आज दिनांक 02-01-2018 को मेरे हस्ताक्षर व पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

02/1/18

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही